an>

Title: Need to probe the issue of violation of land-lease agreement by Tata Steel and DVC, a public sector undertaking in Jharkhand.

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : देश की दिग्गज इस्पात निर्माता कम्पनी टाटा स्टील ने लीज शर्तों को ताक पर रख कर राज्य सरकार को कथित रूप से तगड़ी चपत लगाई। साथ ही टाटा स्टील के अलावा एक अन्य सार्वजनिक उपक्रम की कंपनी डी.वी.सी. ने भी कुछ ऐसा ही कारनामा कर सरकार को राजस्व का झटका दिया है। भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के राजस्व प्रतिवेदन में यह खुलासा हुआ है। सीएजी रिपोर्ट की मानें तो लीज की जमीन से संबंधित तमाम नियमों को ताक पर रख टाटा स्टील और डी.वी.सी. ने सरकार के राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाया है। रिपोर्ट में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों की लापरवाही की बात भी सामने आई है। सरकारी भूमि का अतिक्रमण कर बस्तियां बस गई। यह टाटा लीज कार्यालय के भू-अभिलेखों और बंदोबस्ती कार्यालय जमशेदपुर द्वारा मुहैया कराई गई विवरणी की नमूना जांच में उजागर हुआ है। लीज शर्तों का उल्लंघन करते हुए टाटा स्टील और दामोदर घाटी निगम द्वारा 469.38 एकड़ भूमि को 1279 व्यक्तियों व उद्योगों को 25 जून 1970 और अक्टूबर 2009 के बीच सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना सबलीज पर दे दिया गया। इससे राज्य सरकार को सीधे तौर पर 3376.24 करोड़ रुपये के राजस्व की क्षति हुई। ऑडिट में पाया गया कि इन अनियमित पट्टों के संबंध में सूचनाएं उप समाहर्ता टाटा लीज कार्यालय और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कार्यालय में उपलब्ध थी, लेकिन प्रावधानों के अनुसार सबलीज पट्टे की भूमि वापसी या सरकारी राजस्व की वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। लाफार्ज को हस्तांतरित कर दी गई। जमीन के मामले में सीएजी ने पाया कि पट्टाकृत भूमि के अनियमित हस्तांरण के कारण सरकार को 974.48 करोड़ रुपए के राजस्व से वंचित होना पड़ा। सीएजी ने टाटा स्टील एवं लाफार्ज के बीच हुए समझौते का भी उल्लेख किया है, कहा टाटा स्टील ने अपने पट्टे वाले क्षेत्र में एक सीमेंट प्लांट स्थापित किया था। नवम्बर 1999 में 122.82 एकड़ भूमि के प्लांट क्षेत्र का पट्टा लाफार्ज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया गया जबकि नियमावली पट्टा अधिकारों को अन्य को हस्तांतरण की अनुमति नहीं देती। इस संबंध में उपायुक्त जमशेदपुर ने भी लाफार्ज इंडिया को अक्टूबर 2015 में यह कहते हुए पत्र लिखा था कि टाटा स्टील को पट्टा समझौते के प्रावधान के अधीन या बिहार भूमि सुधार अधिनियम के अधीन कोई अनुज्ञप्ति अधिकार नहीं है।

अतः केन्द्र सरकार से मेरा आग्रह होगा कि इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराते हुए कार्रवाई की जाए।